अनुदान संख्या 33 – वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां
GRANT No. 33–PAYMENTS TO FINANCIAL INSTITUTIONS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)	
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	5723,81,00		17262,42,00	16037,95,00	–1224,47,00
पूरक	Supplementary	11538,61,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1217,17,86
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	40353,76,00		51953,77,00	48243,74,07	–3710,02,93
पूरक	Supplementary	11600,01,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					3709,91,72

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (122447.00 लाख रु.) अगस्त, 2007 और मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 1153861.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 11 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 7 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.122447.00 lakhs) constituted 11 percent of the supplementary grants of Rs.1153861.00 lakhs obtained in August, 2007 and March, 2008 and 7 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	29477.00	1026268.00	1025542.00	–726.00
पू.	S.	1000000.00			
पु.	R.	–3209.00			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2416" कृषि वित्तीय संस्थाएं	Major Head "2416" Agricultural Financial Institutions					
मू.	O.	320578.00				
पू.	S.	153675.00		536486.75	536486.75	. .
पु.	R.	62233.75				
मुख्य शीर्ष "2885" उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	Major Head "2885" Other Outlays on Industries and Minerals					
मू.	O.	209012.00				
पू.	S.	1.00		28411.71	28411.71	. .
पु.	R.	–180601.29				
मुख्य शीर्ष "3475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services					
मू.	O.	693.00				
				567.00	566.92	–0.08
पु.	R.	–126.00				

(I) 180002.00 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 180000.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष "2885" - "औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं - अन्य व्यय" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गएः-

(I) Provision of Rs.180002.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.180000.00 lakhs accounted for under Major Head "2885" - "Industrial Financial Institutions – Other Expenditure" - under the following heads:-

(का) "भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को अनुदान" - 130000.00 लाख रु. निगम की बेहतर वित्तीय स्थिति के कारण थे।

(A) "Grants to Industrial Finance Corporation of India" - Rs.130000.00 lakhs - due to improved financial position of the Corporation.

(खा) "प्रतिबलित परिसंपत्ति स्थिरीकरण निधि को निर्गमित प्रतिभूतियों का मोचन" - 50000.00 लाख रु. बजट प्रभाग के अनुमोदन से एक वैकल्पिक मोचन स्कीम विकसित किए जाने के कारण थे।

(B) "Redemption of Securities issued to Stress Assets Stabilisation Fund (SASF)" - Rs.50000.00 lakhs - due to evolving of an alternate redemption scheme with the approval of Budget Division.

(II) मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम - अन्य व्यय'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''समुदाय आधारित विश्व स्वास्थ्य बीमा स्कीम के लिए सार्वजनिक क्षेत्रा की साधारण बीमा कंपनियों को अदायगी'' - 2500.00 लाख रु. की बचत (4500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सुनामी से प्रभावित परिवारों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) ''वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम को अदायगी'' - 1435.00 लाख रु. की बचत (24977.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2416'' - ''अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि को अंशदान'' के अंतर्गत 424.60 लाख रु. की बचत (2800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) घटी हुई दर की वजह से अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि को कम अंशदान किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2885'' - ''औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं - अन्य व्यय '' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''कर्जों पर ब्याज की दरों में रियायत के बदले में आर्थिक सहायता'' - 768.29 लाख रु. की बचत (776.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक को बंद किए जाने और गोआन बैंकों को कम अदायगी किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को अनुदान'' - 2215.00 लाख रु. की बचत (28235.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बैंक की वित्तीय स्थिति बेहतर होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''3475'' - ''अन्य व्यय - राष्ट्रीय आवास बैंक'' के अंतर्गत 126.08 लाख रु. की बचत (693.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(II) Under Major Head "2235" – "Other Social Security and Welfare Programmes – Other Expenditure" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Payment to Public Sector General Insurance Companies for Community Based Universal Health Insurance Scheme" - saving of Rs.2500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4500.00 lakhs) was due to less claims received from families affected by Tsunami.

(B) "Payment to Life Insurance Corporation of India for Pension Plan for Senior Citizens" - saving of Rs.1435.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.24977.00 lakhs) was due to receipt of less claims from Life Insurance Corporation of India towards Pension Plan for Senior Citizens.

(III) Under Major Head "2416" - "International Cooperation – Contribution to International Fund for Agricultural Development"– saving of Rs.424.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2800.00 lakhs) was due to less contribution to International Fund for Agricultural Development owing to decreased rate.

(IV) Under Major Head "2885" – "Industrial Financial Institutions - Other Expenditure" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Subsidy in lieu of Concession in the rate of interest on Loans" – saving of Rs.768.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.776.00 lakhs) was due to winding up of Industrial Investment Bank of India and less payment made to Goan Banks.

(B) "Grants to Industrial Development Bank of India" - saving of Rs.2215.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.28235.00 lakhs) was due to improved financial position of the Bank.

(V) Under Major Head "3475" - "Other Expenditure - National Housing Bank"– saving of Rs.126.08 lakhs (against the sanctioned

अमरीकी डालर की तुलना में रुपए के विनिमय मूल्य में वृद्धि होने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (65041.35 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 153676.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2416'' - ''अन्य व्यय'' -

(क) ''राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को अनुदान'' - 58263.35 लाख रु.।

(ख) ''किसानों को अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज आर्थिक सहायता'' - 2314.00 लाख रु.।

(ग) ''आई एफ ए डी के अधीन नाबार्ड को अदायगी - महाराष्ट्र ग्रामीण ऋण परियोजना'' - 82.00 लाख रु.।

(घ) ''वित्तीय समावेशन निधि के गठन के लिए सरकार के अंशदान के संबंध में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को अदायगी'' - 1000.00 लाख रु.।

(ङ) ''वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि के गठन के लिए सरकारी अंशदान के संबंध में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को अदायगी'' - 1000.00 लाख रु.।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2885'' - ''औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं - अन्य व्यय - भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम बैंक को अनुदान'' - 2382.00 लाख रु.।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (371002.93 लाख रु.) नवंबर, 2007 और मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 1160001.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 32 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 7 प्रतिशत थीं।

provision of Rs.693.00 lakhs) was due to appreciation of exchange value of rupee against US dollar.

2. The above savings were partly (Rs.65041.35 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.153676.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "2416" - "Other Expenditure" –

(a) "Grants to National Bank for Agriculture and Rural Development(NABARD)" - Rs.58263.35 lakhs.

(b) "Interest Subvention for providing short term credit to farmers" - Rs.2314.00 lakhs.

(c) "Payment to NABARD under IFAD - Maharashtra Rural Credit Project (MRCP)" - Rs.82.00 lakhs.

(d) "Payment to NABARD towards Government's contribution for constitution of Financial Inclusion Fund (FIF)" - Rs.1000.00 lakhs.

(e) "Payment to NABARD towards Government's contribution for constitution of Financial Inclusion Technology Fund(FITF)" - Rs.1000.00 lakhs.

(B) Major Head "2885" – "Industrial Financial Institutions - Other Expenditure - Grants to Industrial Credit and Investment Corporation of India Bank" - Rs.2382.00 lakhs.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.371002.93 lakhs) constituted 32 percent of the supplementary grants of Rs.1160001.00 lakhs obtained in November, 2007 and March, 2008 and 7 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''4416'' कृषि वित्तीय संस्थाओं में निवेश	Major Head "4416" Investment in Agricultural Financial Institutions				
पू.	S.	1.00	30361.00	30360.96	–0.04
पु.	R.	30360.00			
मुख्य शीर्ष ''4885'' उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4885" Other Capital outlay on Industries and Minerals				
मू.	O.	30000.00	90000.00	90000.00	. .
पू.	S.	10000.00			
पु.	R.	50000.00			
मुख्य शीर्ष ''5465'' सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	Major Head "5465" Investment in General Financial and Trading Institutions				
मू.	O.	4000000.00	4552734.35	4552734.35	. .
पू.	S.	1000000.00			
पु.	R.	–447265.65			
मुख्य शीर्ष ''5466'' अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश	Major Head "5466" Investment in International Financial Institutions				
मू.	O.	5376.00	1289.93	1278.76	–11.17
पु.	R.	–4086.07			

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(I) 3958.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 3957.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष ''5466'' - ''अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

(I) Provision of Rs.3958.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these Rs.3957.00 lakhs alone accounted for under Major Head "5466" - "International Monetary Fund - Subscription to International Monetary Fund (Insecurities)" - due to non-requirement of funds for payment.

– अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अभिदान (प्रतिभूतियों में)'' के अंतर्गत अदायगी के लिए निधियों की आवश्यकता न होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(II) मुख्य शीर्ष ''5465'' – ''सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश – सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयरों के निर्गम अधिकार में अभिदान'' के अंतर्गत 1000000.00 लाख रु. की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गईं थीं, तथापि, जो शेयरों की उपलब्धता के अनुसार कम राशि का अभिदान किए जाने के भारत सरकार के निर्णय के कारण 398.80 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(III) मुख्य शीर्ष ''5465'' – ''सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश – सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक का साझीदार होने की अधिग्रहण लागत'' के अंतर्गत 446866.85 लाख रु. की बचत (4000000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतरण के समय भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक का साझीदार होने के अंकित मूल्य में कमी आने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''5466'' – ''अफ्रीकी विकास निधि – अफ्रीकी विकास निधि को अभिदान'' के अंतर्गत 121.76 लाख रु. की बचत (1334.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष के दौरान कम अभिदान किए जाने के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (80310.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 10001.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(I) मुख्य शीर्ष ''4416'' – ''सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश – ऋणात्मक निवल मूल्य वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए सरकार के शेयरों का अशंदान'' – 30310.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 30309.96 लाख रु. था।

(II) मुख्य शीर्ष ''4885'' – ''औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं में निवेश – सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय अवसंरचना वित्त निगम लिमिटेड को इक्विटी सहायता'' – 50000.00 लाख रु. थे।

(II) Under Major Head "5465" - "Investment in General Financial Institutions - Investment in Public Sector and Other Undertakings - Subscription in the rights issue of equity shares of State Bank of India" - funds of Rs.1000000.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of Rs.398.80 lakhs - due to decision by Government of India to subscribe less amount as per availability of shares.

(III) Under Major Head "5465" - "Investment in General Financial Institutions - Investment in Public Sector and Other Undertakings - Acquisition cost of RBI stake in SBI" - saving of Rs.446866.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000000.00 lakhs) was due to reduction of book value of Reserve Bank of India's stake in State Bank of India at the time of transfer.

(IV) Under Major Head "5466" - "African Development Fund - Subscription to African Development Fund" - saving of Rs.121.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1334.00 lakhs) was due to less subscription made during the year.

4. The above savings were partly (Rs.80310.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.10001.00 lakhs under the following major heads:-

(I) Major Head "4416" - "Investment in Public Sector and other Undertakings – Contribution of Government's Share for recapitalization of Regional Rural Banks (RRBs.) having negative net worth" - Rs.30310.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.30309.96 lakhs.

(II) Major Head "4885" - "Investment in Industrial Financial Institutions - Investment in Public Sector and Other Undertakings - Equity support to India Infrastructure Finance Co. Ltd." - Rs.50000.00 lakhs.